

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 53/18

उम्मेद सिंह उर्फ दीनानाथ पुत्र रतन सिंह आयु
45 वर्ष निवासी खल्लासीपुरा शिन्दे की छावनी,
हाल निवासी वार्ड नंबर 17 कीरतपुरा परगना
गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

आरक्षी केंद्र गोहद चौराहा

—अनावेदक

20-02-2018

आवेदक/अभियुक्त उम्मेद सिंह उर्फ दीनानाथ की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

विचारण न्यायालय (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे0एम0एफ0सी0) गोहद से मूल आपराधिक प्र0क0 750/11 शा0पु0 गोहद चौराहा विरुद्ध उम्मेद सिंह प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र धारा 437 दं0प्र0सं0 का खारिज हो जाने के उपरांत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में संचालित प्रकरण क्रमांक 750/11 संचालित हुआ है, जिसमें आवेदक प्रत्येक पेशियों पर उपस्थित होता रहा है, किंतु दिनांक 30.09.14 को आवेदक की तबियत खराब हो जाने के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका और उसकी जमानत जप्त होकर गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था और आवेदक दिनांक 12.02.18 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के अलावा घर पर कमाने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है जेल में रहने से आवेदक का पूरा परिवार भूखा मर जावेगा। अभियुक्त मजदूर पेशा परिवार का एक मात्र कर्ताधर्ता है। वह जमानत मिलने पर नियमित रूप से प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तथा न्यायालय की शर्तों का पालन करेगा। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः अभियुक्त को पुनः जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए आवेदन पत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्षों के निवेदन पर विचार करते हुये विचारण न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 750/11 के संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष नियत पेशी दिनांक 30.09.14 को अभियोजन साक्ष्य की स्टेज पर अभियुक्त के उपस्थित नहीं रहने के कारण उसके जमानत मुचलके जप्त किये जाकर दिनांक 08.09.16 को उसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने के पश्चात् पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अभियुक्त को दिनांक 12.02.18 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् से अभियुक्त विगत करीब 8-9 दिवस से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त के विरुद्ध जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय के समक्ष धारा 279, 337 व 338 भा0दं0सं0 के अंतर्गत उक्त प्रकरण अभियोजन साक्ष्य की स्टेज पर विचाराधीन होने से तथा प्रकरण में अभी एक भी अभियोजन साक्षी के परीक्षित नहीं होने से प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना है तथा उक्त मामला जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है एवं अभियुक्त दिनांक 12.02.18 से अर्थात् विगत करीब 8-9 दिवस से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है और उसे गरीब मजदूर पेशा परिवार का एक मात्र कर्ताधर्ता होना बताया गया है एवं अनुपस्थिति का कारण बीमार हो जाना व मजदूरी करने बाहर चला जाना बताते हुये उपचार संबंधी पर्चे पेश किये हैं। अनुपस्थिति बावत् न्यायिक अभिरक्षा की अवधि शिक्षाप्रद प्रतीत होती है।

विचारोपरांत आवेदक/आरोपी की ओर से संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 20,000/- रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र इस आशय की पेश होने पर कि वह प्रत्येक पेशी पर विचारण न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा, तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

आरोपी के मुचलके की राशि राजसात किये जाने के संबंध में धारा 446 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत विचारण न्यायालय विधिवत कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकॉर्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)